बाल अधिकार

वे अधिकार जो 18 वर्ष तक की आयु के प्रत्यक किशोर/किशोरी को प्रदान किए गए है उन्हें हम बाल अधिकारों की श्रेणी में रखते है–

जीवन जीने का अधिकार– प्रत्येक बच्चे को चाहे वह लड़का हो या लड़की एक अच्छा एवं सुरक्षित जीवन जीने, अच्छा खाना खाने का बराबर का अधिकार है।

संरक्षण का अधिकार– प्रत्येक बच्चे को शोषण के विरूद्ध संरक्षण का अधिकार है। प्रत्येक माता–पिता का दायित्व है कि वह बच्चों की देखभाल ठीक प्रकार से करें।

सहभागिता का अधिकार– बच्चे को भी अभिव्यक्ति के पूरे मौके दे उनकी बात को सुने और उनसे जुड़े मुद्दों पर उनसे बात करें।

विकास का अधिकार– प्रत्येक किशोर/किशोरी को गुणवत्ता परक शिक्षा पाने एवं सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए भय मुक्त वातावरण पाने का पूर्ण अधिकार है।